

नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति किमिलियर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।

13. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामलों में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत करें, तो ही मान्य होगा।
14. कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में RSCIT या इसके समकक्ष अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र।
15. समस्त अभ्यर्थी मण्डल के वेबसाइट पर अपलोड प्रपत्र— 'अ' 'ब' 'स' 'द' और " में निर्देशानुसार प्रपत्र में सूचना।
16. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र।
17. आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन।
18. अभ्यर्थी काउंसलिंग में मास्क लगाकर आयेगें एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखेगें तथा अपने साथ हेण्ड सेनेटाईजर रखेगें।


निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:सम/6107

दिनांक :- 01/07/2020

प्रतिलिपी:- संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व एस.एम.एस. द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जावे।


उप निबंधक (प्रशासन)

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

नियुक्ति अधिकारी राजस्व मंडल अजमेर को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची (NTSP)

SLNO	RANK	Application No	ROLLNO	Candidate Name	Father Name	DOB	GENDER	Category
1	17712	201805141118	1408721	AKASH YADAV	MAHESH CHAND YADAV	28-02-1993	Male	SC
2	18124	201804842136	1402527	BALRAJ LANGA	SATYA NARAYAN LANGA	10-12-1993	Male	SC
3	18184	201803449586	2445357	SOMENDRA KUMAR REGAR	GOPAL LAL REGAR	07-03-1994	Male	SC
4	18412	201803300793	1383702	AMIT KUMAR UDAY	MUNNA LAL UDAY	26-06-1992	Male	SC
5	18419	201804327265	1756371	MANOJ BHIMWAL	LALARAM BHIMWAL	08-02-1996	Male	SC
6	18493	201803694098	2408430	TIKAM CHAND	GORDHAN RAM	25-01-1997	Male	SC
7	18515	201804851613	1402393	BRIJESH KUMAR	RAMRATAN	10-12-1991	Male	SC
8	18603	201803385140	1699790	KESHAV ALORIYA	SURESH CHAND ALORIYA	01-11-1996	Male	SC
9	18636	201804733280	1408879	ASHOK KUMAR	LALARAM	08-08-1992	Male	SC
10	21386	201803768265	1364460	DILKHUSH MEENA	PYARELAL MEENA	05-06-1996	Male	ST
11	21392	201804805860	2017072	RAM SINGH MEENA	RAMESHWAR DAYAL MEENA	15-07-1992	Male	ST
12	21640	201804741675	1864557	RAKESH KUMAR MEENA	KALU RAM MEENA	14-06-1997	Male	ST
13	21765	201803340399	2245445	VIJAY MEENA	LALCHAND MEENA	09-07-1995	Male	ST
14	21885	201804784277	1629796	HARIKESH MEENA	CHATUR BHU MEENA	04-06-1995	Male	ST
15	21923	201804664217	1857434	RAM LAKHAN MEENA	NATHU LAL MEENA	31-10-1993	Male	ST
16	22001	201805228630	1523201	MANISH KUMAR MEENA	CHHOTU RAM MEENA	11-08-1998	Male	ST
17	22039	201803496746	1941027	RAJESH KUMAR MEENA	SHRIYA RAM MEENA	26-06-1992	Male	ST
18	22083	201804255685	2028036	NARESH KUMAR MEENA	RAM KHILADI MEENA	01-09-1990	Male	ST

38

परिशिष्ट-अ

1	सैकण्डरी		
2	सीनियर सैकण्डरी		
3	स्नातक		
4	अधिस्नातक		
5	अन्य योग्यता		
6	कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र		
7	जाति प्रमाण पत्र		
8	अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र		
9	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का न हो) शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं		
10	विवाह शपथ पत्र (प्रमाण पत्र हो तो सत्यापित प्रति) - परिशिष्ट-ब		
11	01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने/न होने का शपथ पत्र परिशिष्ट-स		
12	दहेज न लेने का शपथ पत्र - परिशिष्ट-द		
13	पत्र व्यवहार का पता		
14	मूल निवास प्रमाण पत्र		
15	पते का प्रमाण पत्र, यथा-बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, वाहन लाइसेंस		

११

परिशिष्ट-ब

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(विवाह शपथ-पत्र)

प्रपत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती..... निवासी..... शपथपूर्वक
बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री..... निवासी.....
..... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व
दिनांक..... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री..... निवासी..... के साथ दिनांक.....
..... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं..... अविवाहित हूँ।

या

मैं..... विधुर/विधवा हूँ (पति/पति श्री/श्रीमती.....
.....)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री..... के साथ दिनांक.....
को सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

6

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

परिशिष्ट-स

(संतान शपथ-पत्र)
घोषणा पत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7. (1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मैं पुत्र/पुत्री श्री शील नं. है।
लिपिक ग्रेड-11, भर्ती परीक्षा, 2018 में लिपिक ग्रेड-11 के पद पर अभिस्थापित हुआ/हुई हूँ।

3. दिनांक 31.5.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या थी।
क्र.सं. नाम जन्म तिथि

4. दिनांक 01 जून, 2006 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक 1 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं
वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या है।
क्र.सं. नाम जन्म तिथि

या
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम :
पद : लिपिक ग्रेड-11
मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर के
नाम :
पद मय मोहर :

रु10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें
विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर
द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-११, संयुक्त परीक्षा-2018 में लिपिक ग्रेड-११ के पद पर नियुक्ति हेतु
अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक को हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न तो दहेज लिया
है/ न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नि एवं ससुराल पक्ष की ओर से
कोई शिकायत विभाग/ न्यायलय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का
नियुक्तिकर्ता यथा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पूर्ण
अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम-.....

घोषणा-कर्ता

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

साक्षी

ससुराल पक्ष पिता की ओर से

1.हस्ताक्षर..... 1.हस्ताक्षर.....

नाम..... नाम.....

पता..... पता.....

2.हस्ताक्षर..... 2.हस्ताक्षर.....

नाम..... नाम.....

पता..... पता.....

रु10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें
अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
जयपुर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-1A, संयुक्त परीक्षा-2018 में लिपिक ग्रेड-1A के पद पर नियुक्ति हेतु
अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे/
ना ही देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नि एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत
विभाग/ न्यायलय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता यथा
संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा जिसके
लिए मैं, प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम-.....)

घोषणा-कर्ता

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

साक्षी

ससुराल पक्ष पिता की ओर से

1.हस्ताक्षर..... 1.हस्ताक्षर.....

नाम..... नाम.....

पता..... पता.....

2.हस्ताक्षर..... 2.हस्ताक्षर.....

नाम..... नाम.....

पता..... पता.....

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है । अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक् किया जा सकता है ।
2. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन(Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा ।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ लिपिक(लिपिक ग्रेड-II) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी ।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी. एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159/ दिनांक: 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक:20.10.2015, एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/ 2011/68999-69032 जयपुर दिनांक: 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी ।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम-16 व परिशिष्ट-iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गयी एस.एल.पी.25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा ।
7. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी ।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा ।
9. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड-II के पद की पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे ।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
11. संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा । कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार विभाग को होगा ।
12. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है । प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवायें समाप्त कर सकेगी ।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है । अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी ।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
15. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा ।
16. परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधानी निधि व राज्य बीमा की कटौती नहीं की जावेगी
17. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होकर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।
18. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या: एफ-7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
19. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक: एफ-6(4) वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ-6(5) वित्त/नियम/99दिनांक: 27.07.2004 के अनुसार मेडिकलेम बीमा योजना लागू होगी ।
20. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे ।